वकील अनिल मिश्रा जेल से रिहा हाईकोर्ट ने अवैध मानी गिरफ्तारी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मामला

आंबेडकर की फोटो जलाने का है आरोप

संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर की फोटो जलाने और आपत्तीजनक नारेबाजी का है।

जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती की डिविजन बेंच ने अनिल कुमार मिश्रा बनाम स्टेट एंड अदर्स मामले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में और उसकी समझ में आने वाली भाषा में बताना संवैधानिक आवश्यकता

है। ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड दोनों अवैध होंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। कोर्ट ने अनिल मिश्रा को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच, ग्वालियर द्वारा 1 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर से जुड़ी थी। उन्हें 2 जनवरी को जेएमएफसी ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। मिश्रा ने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर कहा कि उन्हें एफआईआर से पहले गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। कोर्ट ने इन दलीलों को सही मानते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी ठहराया। उल्लेखनीय है कि अनिल मिश्रा पर डॉ. अंबेडकर का पोस्टर जलाने का आरोप है, जिसके मामले में बाद में अन्य गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

यह मामला करीब 7 दिन पुराना है। सिटी सेंटर के पटेल नगर चौराहा पर संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर का फोटो जलाने और नारेबाजी करने का वीडियो वायरल हुआ था। भीम आर्मी और उसके सहयोगी संगठन विरोध में आ गए थे। मकरंद बौद्ध ने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि अनिल मिश्रा की अगुवाई में मोहित ऋषिश्वर, अमित दुबे, ध्यानेन्द्र शर्मा, कुलदीप कांकेरिया, गौरव व्यास, अमित भदौरिया सहित इनके साथियों ने जुलूस निकाला और इस दौरान इन लोगों ने डॉ. आंबेडकर का फोटो जलाया और नारेबाजी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वकील अनिल मिश्रा समेत सात लोगों पर केस दर्ज किया था। इसके बाद शुक्रवार दोपहर करीब 2.45 बजे इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था।

निगमायुक्त ने की विकास कार्यों की समीक्षा

ग्वालियर 7 जनवरी. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर विकास के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी विकास कार्य जिनके कार्यादेश जारी हो चुके हैं तथा कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे कार्य आगामी 15 दिवस में शुरू करायें, अनावश्यक रूप से कार्य प्रारंभ करने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी और उनकी वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

बाल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, मुनीष सिकरवार, कार्यपालन यंत्री श्री सुशील कटारे, पवन सिंघल सहित सभी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री उपस्थित रहे।

बैठक में निगमायुक्त संघ प्रिय ने सबसे पहले 01 करोड रूपये से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों की विधानसभा वार समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यों में वर्क ऑडर जारी हो चुके हैं उनमें अनावश्यक देरी न करें तत्काल कार्य प्रारंभ करायें।

नगर निगम को मिले 7 नये अधिकारी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा चयनित 7 अधिकारियों व कर्मचारियों को महापौर डॉक्टर

अधिकारियों व कर्मचारियों को नगर निगम ग्वालियर में नियुक्ति पत्र किए वितरित

शोभा सतीश सिंह सिकरवार, सभापति श्री मनोज तोमर, मेयर इन काउंसिल के सदस्य श्री अवधेश कौरव, श्री विनोद माठू यादव, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती गायत्री मंडेलिया, श्रीमती संध्या कुशवाह, श्रीमती मोनिका शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी गुर्जर, शकील मंसूरी एवं नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय एवं अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला द्वारा नगर निगम ग्वालियर में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में नवीन चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के अवसर पर महापौर डॉ शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने कहा कि नगर निगम में कार्य करना बहुत बडी चुनौती का कार्य है। लेकिन आप सभी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी तथा सभी के समन्वय के साथ करें। आप सभी को शुभकामनायें।

इस अवसर पर सभापति श्री मनोज तोमर ने सभी नव नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी अधिकारी शहर विकास के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्यकरें। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने सभी नव नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कहा कि नगर निगम में सेवा करने का मौका मिला है तो सभी अधिकारी व कर्मचारी पूर्ण सेवा व समर्पण के साथ जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करें.

इन अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

चयनित अभ्यर्थी जिसमें राजस्व निरीक्षक पद पर सुश्री शिल्पा एडे पुत्री हेमराज एडे, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी पद पर सौरभ चौधरी पुत्र बाल कृष्ण चौधरी, संस्कार पाठक पुत्र मनोज पाठक, सुश्री हिना यादव पुत्री एचके यादव, सहायक अग्निशमन अधिकारी पद पर जोगेन्द्र सिंह पुत्र घनश्याम सिंह, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी पद पर काबिल सिंह राजोरिया पुत्र बालकिशन राजोरिया आदि।

हाईकोर्ट ने रद्द की दुष्कर्म, धमकी और उगाही की एफआईआर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. एमपी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बलात्कार, धमकी और उगाही के आरोपों से जुड़ी एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये आरोप भरोसेमंद नहीं हैं और बदले की भावना से लगाए गए लगते हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायत में बताए गए तथ्य सामान्य समझ से मेल नहीं खाते। जैसे किसी सार्वजनिक जगह से अपहरण, 20 लाख रुपए की मांग और दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना के बाद भी न तो तुरंत शिकायत की गई और न ही कोई मेडिकल जांच कराई गई। इसके अलावा, घटना की कोई स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं है।

कोर्ट ने जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां भी पाईं। खास तौर पर यह बात गंभीर मानी गई कि धारा 164 के तहत दर्ज बयान जैसे गोपनीय दस्तावेज शिकायतकर्ता के पास पाए गए, जिससे पुलिस जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। सिरोल थाने में दर्ज इस

आरोपों को बताया अविश्वसनीय, कहा- बदले की भावना में लगाए आरोप

मामले की पूरी कार्रवाई को अब रद्द कर दिया गया है।

शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे 20 लाख रुपए की मांग की, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और फिर कार में बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। यह एफआईआर घटना के करीब आठ महीने बाद दर्ज कराई गई थी। महिला ने देरी का कारण डर और सामाजिक दबाव बताया था। आरोपी की ओर से अदालत में कहा गया कि यह केस जानबूझकर झूठा और दुर्भावना से दर्ज कराया गया है। वकील ने बताया कि जिस दिन यह एफआईआर दर्ज हुई, उसी दिन पहले आरोपी की बेटी ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ गंभीर यौन अपराध की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यह केस सामने आया, जिससे साफ होता है कि यह बदले की कार्रवाई है।

हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों में देरी हमेशा गलत नहीं मानी जाती, लेकिन यहां आठ महीने की देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

ठंड : अलाव और हीटर के भरोसे कट रहीं रातें

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. ग्वालियर-चंबल संभाग में भीषण ठंड का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। बर्फीली हवाओं ने शहर को 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है।

जिले में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। सूरज के दर्शन न होने या धूप में तपिश न होने के कारण दिन में भी लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही बाहर जा रहे हैं ठंड से बचने के लिए शहरवासियों ने अब पारंपरिक और आधुनिक दोनों संसाधनों का रुख किया है:

अलाव का जोर: बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक चौराहों पर लोग लकड़ियाँ और कचरा जलाकर हाथ सेंकते नजर आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा भी प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है।

बाजार में बढ़ी गीजर - हीटर की मांग- घरों और दफ्तरों में हीटर और ब्लोअर का उपयोग बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर हीटर और गीजर की मांग में अचानक उछाल आया है।

प्रशासनिक कदम और स्वास्थ्य सलाह

बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में हार्ट पेशेंट्स और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय है कि ग्वालियर में उत्तरी हवाओं के कारण ठंड का असर ज्यादा है। अगले 48 घंटों तक राहत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें और ठंडी हवाओं से सीधे संपर्क में आने से बचें।

उच्च गुणवत्ता वाले यूकेलिप्टस (सफेदा) पौधे उपलब्ध

ELIXRR PIONEERING REELLENCE

ग्वालियर मेला में हमारे स्टॉल में अवश्य पधारें

उत्कृष्ट एवं भरोसेमंद यूकेलिप्टस (सफेदा) पौधों का विश्वसनीय स्रोत

हम उपलब्ध कराते हैं

उच्च गुणवत्ता वाले यूकेलिप्टस (सफेदा) क्लोन पौधे

अधिक जीवित रहने की क्षमता एवं तेज वृद्धि

एग्रोफॉरेस्टी एवं व्यावसायिक रोपण के लिए उपयुक्त

हमारे पौधे क्यों चुनें?

सुनिश्चित गुणवत्ता

समान एवं एकरूप वृद्धि

किसानों के लिए अधिक उत्पादन एवं बेहतर आय

संपर्क करें: मोबाइल: 8328824575

स्थान: ग्वालियर मेला पुरातत्व विभाग के चित्र प्रदर्शनी स्टॉल के सामने, प्रदर्शनी क्षेत्र एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर

14 जनवरी

Happy Makar Sankranti

सभी देशवासियों को आगामी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रो- एस.एन. शुक्ला (गणित)

AM-70, डी डी नगर, ग्वालियर

Mob. 9179416408

सात दिवसीय सेवा कार्य अभियान का समापन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के जन्मदिन पर एक जनवरी से सात जनवरी तक सेवा दिवस के रूप में अभियान चलाया गया जिसका आज समापन बिरला प्रसूतिगृह हॉस्पिटल में किया गया। इस अभियान में 21 युवाओं ने रक्तदान किया। सात दिवसीय सेवाकार्य के आयोजक रामअवतार सिंह बैस ने बताया कि पहले दिन उज्जैन में महाकाल महाराज के दर्शन कर सिंधिया एवं ऊर्जा मंत्री की दीर्घायु की कामना की, दूसरे दिन सिविल हॉस्पिटल

हजीरा में मरीजो एवं आमजन को चाय बिस्किट से सेवा कर तीसरे दिन डॉ भगवत सहाय महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया। चौथे दिन झुग्गी झोपड़ी में गरीबो को गर्म कपड़े वितरण किये पांचवें दिन शहर में पशु सेवा की छंटवे दिन गरीबो को भोजन वितरण किया और आज सातवे दिन रक्तदान कर सात दिवसीय सेवाकार्य का समापन किया। आयोजक ने सेवा कार्य में सभी सहयोगी का आभार व्यक्त किया। आज समापन अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहे। उन्होने साथ दिवसीय सेवाकार्य की सराहना करते हुए कहा कि सभी को किसी न किसी रूप में गरीबों की सेवा करते रहना चाहिए।

मेले की दस्तकारी हाट में खादी एक्सपो का शुभारंभ आज

ग्वालियर, 7 जनवरी। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में स्थित दस्तकारी हाट में खादी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में 8 जनवरी को अपरान्ह 3.30 बजे इस खादी एक्सपो का उदघाटन होगा। इस आशय की जानकारी मध्य भारत खादी संघ के सचिव रमाकांत शर्मा ने दी है। यह खादी एक्सपो 'लोकल फॉर वोकल' की अवधारणा के अनुरूप लगाया गया है। मध्य भारत खादी संघ जीवाजीगंज द्वारा आयोजित किए जा रहे खादी एक्सपो में एक से बढ़कर एक हैण्डलूम उत्पाद उपलब्ध होंगे।

डॉ. कुमार क्लीनिक

DR. DINESH KUMAR

M.B.B.S., PGDS, FSPT

SEXYOLOGIST

गुप्त रोग विशेषज्ञ

नवीन पद्धति द्वारा 100% सफल इलाज

2000 से अधिक रोगियों का विश्वास

पता-सिल्वर एस्टेट के पास, सिटी सेन्टर, अभियंक एस्टेट ग्वालियर

संपर्क करें-9090848460

गैंगवार में गोलियां चलाने वाला 10 हजार का इनामी पकड़ा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. दो माह पूर्व घने अंधेरे में आधी रात को गैंगवार की घटना सामने आई थी। वर्चस्व और 5 लाख रूपये के लेन-देन को लेकर बदमाश रिंकू कमरिया गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। बदमाशों ने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे हवलदार के बेटे सहित 2 युवकों पर लगभग 15 मिनट में 35 से अधिक गोलियां फायर की थी। इस हमले में हवलदार का बेटा समेत 2 लोग जख्मी हुए थे। यह घटना घासमंडी इलाके के कोटेश्वर रोड पर हुई थी। इस मामले में फरार चल रहे 10 हजार रूपये के इनामी बदमाश मनीष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, गैंगवार के मास्टरमाइड रिंकू कमरिया सहित 10 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गये आरोपी मनीष यादव पर ही गोलियां दागने का आरोप है। दरअसल, शिवनगर घोसीपुरा, जनकगंज निवासी विजयसिंह गौड़ के पिता मध्यप्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल है।

15 वर्ष से पुरानी बसों का अब नहीं होगा संचालन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 7 जनवरी. मध्यप्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक अवधि में अब नहीं चल सकेंगीं। 15 वर्ष पुरानी बसों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसी बसें चलती पाई गईं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।

पुरानी बसों के परमिट का नहीं होगा नवीनीकरण

संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने बुधवार को बस ऑपरेटरों एवं उनके अधिकृत अभिभाषकों की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। संभागीय आयुक्त कार्यालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष से पुरानी यात्री बसों का अब परमिट नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसी बसों के संचालकों को नई बसें क्रय कर ही संचालित करनी होंगीं। इस संबंध में बस संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने बस संचालकों एवं उनके अभिभाषकों से चर्चा करते हुए शासन के निर्णय से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से पुरानी कोई भी बस अब संचालित नहीं होगी। ऐसी बसों का परमिट भी नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि शासन के नियमों का पालन करते हुए पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें लेकर संचालित करें। शासन के निर्णय का पालन न पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। बैठक में परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि ग्वालियर से 73 बसों को संभाग स्तर पर संचालित करने हेतु परमिट जारी किया गया है। इनमें से 59 बसें अभी भी शेष बची हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ई-नीलामी विक्रय सूचना

शाखा: नया बाजार, राज पायगा रोड़, नया बाजार, ग्वालियर (म.प्र.) फोन : 72477-70056, E-mail: naygwa@bankofbaroda.com

परिशिष्ट चतुर्थ - ए (नियम 6 (ए) एवं 8 (6) देखें)

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जाता है। को जहां है, जैसा है, और जो कुछ भी है, के आधार पर निम्नलिखित कर्जदार और प्रत्याभूति-दाता से प्रतिभूत लेनदार की निम्नदर्शित रुपये की बकाया राशि की बसूली हेतु निम्नलिखित दिनांक व समय पर बेचा जायेगा। कर्जदारों/जमानतदारों /बंधक संपत्तियों/बकाया राशि/नीलामी तिथी व समय/आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि/बोली बढाने की राशि नीचे दर्शायी गई है।

कर्जदार/जमानदार/बंधककर्ता का नाम व पता	ज्ञात ऋण-भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य / अग्रिमधनराशि / बोली बढाने की राशि	नीलामी की तारीख एवं समय	मांग सूचना दिनांक / आधिपत्य दिनांक / बकाया राशि
ऋणी: 1. मेसर्स सुयश मोटर्स, प्रस्ताव: श्री चंद्रभान दुबे पता: नगर निगम मार्केट लक्ष्मी गंज, लश्कर ग्वालियर (मध्य प्रदेश)-474001 2. श्री चन्द्रभान दुबे पता: 110, काला सैय्यद, तारागंज, ग्वालियर (म.प्र.)-474001 जमानतदार: श्री रमेश दुबे पुत्र श्री रघुबर दयाल दुबे पता: काला सैयद, तारागंज लश्कर गिर्द, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)-474001	सम्पत्ति स्वामी - श्री चंद्र भान दुबे - मकान जिसका म्युनिसिपल प्रोपर्टी नंबर 49/858 है, कला सैय्यद, समाधिया कॉलोनी के पास, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) प्लॉट का एरिया 445 .60 वर्गफुट है, चतुर-सीमाएँ: पूर्व: स्ट्रीट कॉर्पोरेशन, पश्चिम: महेंद्र कुशवाह का मकान, उत्तर: कॉमन पैसेज, दक्षिण: विक्रेता का बाकी हिस्सा	₹ 11,44,100/- 1,14,410/- 10,000	17-02-2026 Time : 2:00 PM to 6:00 PM	09-06-2025 30-09-2025 ₹ 10,52,248.14/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे (प्रतीकात्मक आधिपत्य)
ऋणी: 1. श्री नारायण सिंह यादव पुत्र श्री प्रेम सिंह 2. श्रीमती राजकुमारी यादव पत्नि नारायण सिंह यादव पता: निराला नगर काशीपुरा सिंहपुर, रोड़, मुरार-474006 जमानतदार : हवेन्द्र सिंह पुत्र श्री करण सिंह जाटव पता: भीम नगर, गांधी रोड़, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)	सम्पत्ति स्वामी - श्री नारायण सिंह यादव पुत्र प्रेम सिंह यादव - मकान नंबर 27/1335, सर्वे नंबर 2374 का हिस्सा, वार्ड नंबर 26, काशीपुरा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) का इक्विटेबल मॉर्गेज, प्लॉट का क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट/67 .70 वर्ग मीटर, चतुर-सीमाएँ: पूर्व: पंडित जी का मकान, पश्चिम: महाराज सिंह का प्लॉट, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: महाराज सिंह का प्लॉट	₹ 26,10,000/- 2,61,000/- 10,000	17-02-2026 Time : 2:00 PM to 6:00 PM	14-07-2025 01-10-2025 ₹ 14,92,426.76/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे (प्रतीकात्मक आधिपत्य)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm or https://baanknet.com में दिये गये लिंक को देखें। संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं मोबाईल नं. 78801-53122

स्थान: ग्वालियर | दिनांक: 07/01/2026 | प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मण्डल कार्यालय, C-7, वत्सल मैंशन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) फोन नं. 0751-2437824 ई-मेल- cs8232@pnb.co.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा / सांकेतिक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया है, को 'जहां है जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर निम्नलिखित ऋणियों एव जमानतदारों से बैंक / प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु निम्न दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है:-

ई नीलामी दिनांक : 28.01.2026

(ई-नीलामी का समय: दोपहर: 01.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ)

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 25000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे।

मण्डल कार्यालय | प्राधिकृत अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र धनगर | फोन नं. 0755-2550020/7049405000

ऋणी/बंधनकर्ता का नाम एवं बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	मांग पत्र दिनांक / कब्जा दिनांक / बैंक को देय राशि
अखिलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल (भौतिक आधिपत्य) श्री अखिलेश अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चंद्र अग्रवाल एवं श्री सचिन अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चंद्र अग्रवाल की संपत्ति-फ्लैट नं. 301, तीसरी मंजिल, शिंदे अपार्टमेंट, नगर निगम मकान नं. 48/394 (पुराना) और 55/394 और 16/603 (पुराना) और नया नगर निगम मकान नं. 48/394 एवं 48/395 का भाग, वार्ड-48 (नया) स्थित-गाडवे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.), क्षेत्रफल-700 वर्गफुट, चतुरसीमाएं: पूर्व-आम सीढ़ी और फ्लैट नंबर 302, पश्चिम- श्री हीरा खान का मकान, उत्तर- श्री हीरा खान का बाड़ा की संपत्ति, दक्षिण- नीचे सड़क और खुली जगह.	(₹) 21.60 लाख	(₹) 02.16 लाख	10.08.2023 26.10.2023 रु. 19,56,663.00 ब्याज + अन्य खर्चे
मेसर्स कामधगिरी पोल्स इंडस्ट्रीज (सांकेतिक आधिपत्य) श्रीमती मुन्नी परमार पत्नी श्री परशूराम सिंह परमार का रिहायशी मकान, न.नि. वार्ड क्र. 01, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.), भू-सर्वे नं. 1175/1, मिन-3, पटवारी हल्का नं. 12 कुल क्षेत्रफल 1790 वर्गफीट, चतुरसीमाएं: पूर्व: मीरा शर्मा का मकान, पश्चिम: रोड 12 फीट चौड़ी, उत्तर: जमीन मुन्नी परमार, दक्षिण: कुशवाह जी की भूमि।	(₹) 19.80 लाख	(₹) 01.980 लाख	04.07.2015 15.10.2015 रु. 13,04,515.00 ब्याज + अन्य खर्चे
श्रीमती दीप्ती गर्ग पत्नी श्री विनित गर्ग एवं श्री रामसेवक सिंह परमार पुत्र श्री परशूराम परामर की समत्ति डायवर्टेड प्लॉट, ग्राम सुनावली, कुकथरी रोड, तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.), भू-सर्वे नं. 547/2, पटवारी हल्का नं. 44 कुल क्षेत्रफल 22,500 वर्गफीट, चतुरसीमाएं: पूर्व: कृषि भूमि गजराज सिंह, पश्चिम: भूमि श्रीमती खिल्लन देवी एवं अन्य, उत्तर: भूमि श्रीमती खिल्लन देवी एवं अन्य दक्षिण: रोड।	(₹) 09.90 लाख	(₹) 0.990 लाख	
मेसर्स विहान प्रोडक्शन (प्रो. श्री सुभाष मिश्र पुत्र श्री राजेश कुमार मिश्र) (सांकेतिक आधिपत्य) श्री मुन्नालाल शर्मा पुत्र श्री सुंदरलाल शर्मा की संपत्ति भू-सर्वे क्र.-13, मकान नं-118, वार्ड-1, स्थित-मोहल्ला-सिकंदरपुर, भांडेर, दतिया (म.प्र.), क्षेत्रफल: 1763 वर्गफुट (बिल्ड-अप एरिया-550 वर्गफीट), चतुरसीमायें: पूर्व: श्री रामप्रसाद की संपत्ति, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: लक्ष्मीनारायण की संपत्ति, दक्षिण: श्री मुन्नालाल की संपत्ति।	(₹) 18.20 लाख	(₹) 1.820 लाख	07.06.2021 07.12.2021 रु. 16,84,112.79 + ब्याज व अन्य खर्चे
मेसर्स बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रोप. पवन शर्मा) (सांकेतिक आधिपत्य) श्री पवन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा की संपत्ति-मकान स्थित चाकपीर खान, अनामिका कॉलोनी, वार्ड नं 4, भूमि सर्वेक्षण नं. 43, भांडेर, जिला दतिया (म.प्र.), क्षेत्रफल -1237.5 वर्गफुट, चतुरसीमाऐं: पूर्व- 10 फीट चौड़ा आम रास्ता, पश्चिम- लालाराम कुशवाह की संपत्ति, उत्तर- श्रीमती रेखा श्रीवास्तव की संपत्ति, दक्षिण- वैदेही सरन की संपत्ति	(₹) 25.20 लाख	(₹) 2.520 लाख	07.06.2021 07.12.2021 रु.9,63,985.05 ब्याज + अन्य खर्चे
श्रीमती केशकली यादव पत्नी श्री मूरत सिंह यादव (सांकेतिक आधिपत्य) श्रीमती केशकली यादव पत्नी श्री मूरत सिंह यादव की संपत्ति स्थित म.नं. 106/109, वार्ड 4, मोहल्ला कैलाशपुरी, पुलिस थाने के सामने, भांडेर, जिला, दतिया (म.प्र.), क्षेत्रफल 17.86 वर्गमीटर या 192 वर्गफुट। सीमाएँ: पूर्व: श्री गुप्ता जी का प्लॉट, पश्चिम: श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, उत्तर: रोड नगर परिषद, दक्षिण: श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता	(₹) 06.30 लाख	(₹) 0.630 लाख	19.06.2021 04.12.2021 रु.9,16,011.70 ब्याज + अन्य खर्चे
श्रीमती काशी बाई पालिया पत्नी स्व. श्री खूबी राम (सांकेतिक आधिपत्य) श्रीमती काशी बाई पालिया पत्नी स्व. श्री खूबीराम की संपत्ती- नगर निगम मकान 34/151/1, हल्का नं. 4 (नया) एवं हल्का नं. 22 (पुराना), स्थित 169, सेख की बगिया, हनुमान चौराहा के पास, जनकगंज, लश्कर (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल- 55.76 वर्ग मीटर। सीमाएं:- पूर्व- काशी राम का मकान, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- श्री खच्चूराम का मकान, दक्षिण- खरगा राम का मकान।	(₹) 12.98 लाख	(₹) 1.298 लाख	07.11.2019 13.08.2020 रु.5,05,042.00 + ब्याज व अन्य खर्चे

नियम एवं शर्ते:-1. विक्रय सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के आधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। 2. सम्पत्तियों की बिक्री "जहां है जैसा है एवं जिस अवस्था में है" के आधार पर होगी। 3. ऊपर वर्णित सम्पत्तियों का विवरण सुरक्षित ऋणदाता को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु सुरक्षित ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक लिये जिम्मेदार नहीं होगा। 4. विक्रय अधिकृत ऑनलाईन ई-निलामी सेवा प्रदाता के द्वारा 28/01/2026 को वेबसाइट https://baanknet.com पर किया जायेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता PSB Alliance के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा।

दिनांक: 07.01.2026 स्थान: ग्वालियर | सुरक्षित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95